


OS- 905/20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर



अनवरी आयु लगभग 26 साल पत्ती इमरान साकिन शाहपुर
सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर

वादिनी

बनाम

- 1— दिलावर अली आयु लगभग 60 साल वल्द मरहूम मो० अमीन
- 2— इमरान आयु लगभग 26 साल सुत दिलावर अली
- 3— नफीसा आयु लगभग 30 साल पत्ती इरसाद
- 4— इरसाद आयु लगभग 35 साल सुल दिलावर अली
साकिनान शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर
जिला सुलतानपुर प्रतिवादीगण

दावा स्थायी व्यादेश

मूलवाद संख्या — सन 2020

श्रीमानजी,

प्रार्थिनी निम्न प्रकार विनयी है :-

धारा 1:- यह कि वादिनी ग्राम शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील रादर जिला सुलतानपुर की बसिलसिले पूर्वजान स्थायी निवासी है और प्रतिवादीगण भी इसी पते के स्थायी निवासी है और एक ही परिवार के है सबका घर दुआर खेत यारी आदि इसी गांव में कायमी पूर्वजान कायम चला आ रहा है और आज भी है ।

धारा 2:- यह कि वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 की बहु है और प्रतिवादी संख्या 2 की पत्ती है और प्रतिवादी संख्या 2 सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 भी सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादिनी संख्या 3 वाघे में अपना इलाज करवा रही है ।


न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या 15 जनपद सुलतानपुर
अनवरी - बनाम- दिलावर अली आदि सरिवा० ल००- सन 2020 फू०

धारा 3:- यह कि वादिनी के पति व देवर प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने अपनी कमाई से गांव में एक अच्छा पक्का मकान का निर्माण करवाया है जिसमें वादिनी प्रतिवादी आदि सब रहते हैं और आज भी रह रहे हैं।

धारा 4:- यह कि निर्मित मकान की चौहदादी पूरब— खेत अजय कुमार व चक्रमार्ग, पश्चिम— हाजी सदर, उत्तर — मुस्ताज अली, दक्षिण— दिलावर के बीच कायम है जिसमें पूरा परिवार रह रहा है।

धारा 5:- यह कि उपरोक्त मकान को वादपत्र के साथ एक नक्शानजरी दी जा रही है जिसमें बरंग सुर्ख अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया गया है जो वादपत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 6:- यह कि विवादित जायदाद वादी के पूर्वज महबूब के समय से कायम चली आ रही है प्रतिवादी संख्या 1 की एक भी धुर बनायी जमीन नहीं है इसलिए नीचे वादपत्र को समझने के लिए निम्न बंशावली दी जा रही है :—



उपरोक्त बंशावली से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण जायदाद पूर्वज महबूब अली की बनायी हुई है।

धारा 7:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 काफी अझ्यास किस्म का व्यक्ति है जो मेरे जेठ इमरान की पत्नी के आने के बाद उससे सम्पर्क बनाना चाहा जिस पर बड़ा गदर हुआ तो उसको काफी मारा पीटा जिसकी दया आज भी वह बाम्बे में करवा रही है।

धारा 8:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 जब अपने मंसूबा में इमरान की पत्नी पर कामयाब नहीं हुआ तो वह मुझ वादिनी पर अपनी गलत करतूत को अपनाना शुरू किया जिस पर वादिनी के बीच थाना पुलिस तक की नौवत आ गयी और दोनों के बीच काफी विवाद हुआ।

धारा 9:- यह कि इमरान व इरसाद द्वारा अपना अपना हक हिस्सा लेकर उसी घर में प्रतिवादी संख्या 1 से अलग कर लिया और उस पर

काविज दखील होकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना शुरू कर दिया ।

धारा 10:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 अब ब्राह्मण धमकी देता है कि यदि हमारी नहीं सुनोगी तो सारी जायदाद सलमान को दे दूंगा और घर से तुमको निकाल दूंगा जिस पर गांव विरादरी के लोग भी काफी डांटा फटकारा फिर भी अपनी नीचता व विक्रय करने व वसीयत करने की धमकी से वाज नहीं आता है ।

धारा 11:- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 व 4 सजदिया में होने व प्रतिवादी संख्या 3 अपने इलाज के सिलसिले में बाम्बे में होने के कारण दावे में रामिल सरीक नहीं हो पा रही है और यह दावा उनके भी हित के लिए है जिससे उनको प्रोफार्मा डिफेन्डेण्ट बनाया जा रहा है ।

धारा 12:- यह कि वाद का क्षरण बमाई अन्तिम सप्ताह दिनांक 31/8/20

वावत देने धमकी कर देने बेदखल व देने धमकी कर देने बेघर व देने धमकी कर देने वसीयत वैनामा नीज वाद न्यायालय श्रीमानजी के अधिकार सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ जिसकी सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमानजी को ही है ।

धारा 13:- यह कि वाद की मालियत वावत मकान व खेती 10,00000/- रुपया (दस लाख रुपया) से कम नहीं है यही वाद की मालियत नियत की जाती है चूंकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिए मुवलिग 10,00000/-रुपया का 1/5 भाग मुवलिग 200000/-रुपया पर अधिकतम न्यायशुल्क मुवलिग 500/-रुपया की अदा की जाती है ।

याचना

(अ):- डिक्री स्थायी व्यादेश बहक वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 को हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वह वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के रहाईश व जीविकोपार्जन की जमीन जो वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हकूक में है उस पर किसी प्रकार से न तो हस्तक्षेप करें न ही बर्बाद करे न ही उसको किसी के पक्ष में विक्रय करें और न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा व दखल उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा हो ।

(ब):- खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे ।

न्यायालय श्रीमान शिविल जज (प्रधान) कथ संख्या 15 जनपद सुलतानपुर अनवरी - बनाम - दिलायल अली आदि साठवा ०० - सन २०२० ई

3/5

-4-

(स) - अन्य याचना जो वादिनी को खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय उचित समझे प्रदान करें।

सराहत जायदाद निजाई मकान नम्बर 563 चौहड़ी उत्तर मुमताज अली, दक्षिण- दिलावल अली, पूरब- खेत अजय कुमार व चक्रवर्ड, पश्चिम- हाजी, सदर


चक संख्या 1 पुराना नम्बर 3492 मि० में से नया नम्बर 1384 साकिन शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील व जिला सुलतानपुर वतौर हिस्सा कब्जा

चक संख्या 2- पुराना नम्बर 1333 मि० में से नया नम्बर 636 साकिन धिकौरा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर वतौर हिस्सा कब्जा

प्रार्थिनी:-

अनवरी वादिनी

द्वारा

अधिवक्ता 

दिनांक

३१ अक्टूबर

मैं वादिनी स्वयं तसदीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 12 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है। धारा 13 व याचना को सही होने में विश्वास करती हूँ इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और न कुछ झूठ है खुदा मेरी मदद करें तसदीक मुकाम दीवानी अहाता जनपद सुलतानपुर

तसदीक दिनांक

अनवरी

न्यायालय श्रीमान सिद्धिल ज्ञ (प्रभु) कक्ष संख्या 15 जनपद सुलतानपुर अनवरी - वनाम- दिलावल अली आदि साठा स० - सन 2020 ई०

राज्य विवाद (प्र००७०) का अंतिम इकलौता

37/6

34/10/20

1/20/10/

410010

120

10215

15

प्रस्ताव-विवाद

| मिलान शुभमला | | | |
|--------------|---------|---------|---------|
| प्र००१० | प्र००११ | प्र००१२ | प्र००१३ |
| प्र००१४ | प्र००१५ | प्र००१६ | प्र००१७ |
| प्र००१८ | प्र००१९ | प्र००२० | प्र००२१ |
| प्र००२२ | प्र००२३ | प्र००२४ | प्र००२५ |

प्र००१९ विवाद

राज्य विवाद (प्र००७०) का अंतिम इकलौता

प्र००१०/११/२०
प्र००११/१२/२०
25.8.20

41194/20

प्र००१२/१३/२०

प्र००१३/१४/२०

प्र००१४/१५/२०

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-१५
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-

१०५१२०

२६

बनाम

३०५१२०

३०७१२०

दिनांक २५/१०/२०

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ ।
अवलोकित । अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक २५/१२० को
वास्ते बयान तहरीरी रंब दिनांक ०३/१०/२० को वास्ते बिरचित किये जाने
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे ।

सिविल जज (प्रवर खण्ड),
कक्ष सं०-१५, सुलतानपुर

५८२ प्रार्थनापत्र हुकुम इस्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश ३९ नियम १ व २
जारी ।

६८२ शपथपत्र ।

७८२ प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश २६ नियम ९ जारी । प्रस्तुत किया
गया ।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

गूल वाद संख्या-905/2020
अनवरी बनाम दिलावर आदि।

२५/८

दिनांक-25.08.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुत्तम हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, व, स, द नक्शा वाद उन्होंने अपना पारिवारिक मवान होना कहा है। विवादित जायदाद वादी के पूर्वज महबूब के द्वारा उन्होंने अपना पारिवारिक मवान होना कहा है। प्रतिवादी संख्या 01 की एक भी धुर बनायी जमींन नहीं है। इन्होंने कोयम चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 01 का अग्रयास किरम का व्यक्ति है। वह वादिनी को बराबर धमकी दे रहा है। उसे सम्पूर्ण जायदाद रो बेदखल कर घर से निकाल देगा। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य में विवादित आराजीयात गाड़ी संख्या 1384 व 636 प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वह विवादित मकान संख्या 563 प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नी के नाम दर्ज है। अतः ऐसे में मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश परित किये जाने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नाटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वारते निवारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 25.09.2020 को पेश हो।

१५/८/२०

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-१५
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 रवीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुनित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

१५/८/२०

(रांदीप कुमार)
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष र००-१५
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज (प्र० ख०) — कक्ष संख्या—15, सुलतानपुर

मूल वाद संख्या—905/2020
अनवरी बनाम दिलावर अली आदि।

दिनांक—26.08.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.08.2020 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा० दी० वादी द्वारा
इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थिनी वादिनी है और वाद उक्त में
कुछ आवश्यक व कानूनी कमी रह गयी है जिसको उठाकर ही दुरुस्त किया जा सकता है जो
अरिए तरभीम संभन नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा मुकदमा उठाना न्यायहित में आवश्यक है।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दावे में कुछ आवश्यक व
कानूनी कमी होने के कारण वादिनी मुकदमा वाद वापस लेना तथा पुनः वाद संस्थित करने की
अनुमति चाहती है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र वादिनी स्वीकार किये जाने योग्य है।


आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.08.2020 स्वीकार किया जाता है। वादिनी को पुनः वाद
संस्थित करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाता है।
कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर करे।

28-08-2020
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष संख्या—15,
सुलतानपुर।

05 962/20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर



अनवरी आयु लगभग 26 साल पत्नी इमरान साकिन शाहपुर
सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर

वादिनी

बनाम

1- दिलावर अली आयु लगभग 60 साल वल्द मरहूम मो० अमीन

2- इमरान आयु लगभग 26 साल सुत दिलावर अली

3- नफीसा आयु लगभग 30 साल पत्नी इरसाद

4- इरसाद आयु लगभग 35 साल सुल दिलावर अली

साकिनान शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर
जिला सुलतानपुर

प्रतिवादीगण

दावा स्थायी व्यादेश

मूलवाद संख्या - सन 2020

श्रीमानजी,

प्रार्थिनी निम्न प्रकार विनयी है :-

धारा 1:- यह कि वादिनी ग्राम शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की बसिलसिले पूर्वजान स्थायी निवासी है और प्रतिवादीगण भी इसी पते के स्थायी निवासी हैं और

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष संख्या 15 जनपद सुलतानपुर
अनवरी - बनाम - दिलावर अली आदि साठ०० स० - सन 2020 ई०

एक ही परिवार के हैं सबका घर दुआर खेत बारी आदि इसी गांव में
कायमी पूर्वजान कायम चला आ रहा है और आज भी है ।

धारा 2:- यह कि वादिनी प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी है और प्रतिवादी
संख्या 2 सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 भी
सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादिनी संख्या 3 बाबे में अपना
इलाज करवा रही है ।

धारा 3:- यह कि वादिनी के पति वजेठ प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने
अपनी कमाई से गांव में एक अच्छा पक्का मकान का निर्माण
करवाया है जिसमें वादिनी प्रतिवादी आदि सब रहते हैं और आज भी
रह रहे हैं ।

प्राप्ति 137:- इन तीकों दो बादशह लो समझाने के लिए उक्त
विश्वासी दीजा रही है जो निम्न पुंकार है:-

महेश्वर अली

जीहमद अमीर

दिलावर

इमरान

इरशाद

सलमान

उक्तो द्वात्र विश्वासी ने यह दावह किया जो को क्षमता दी गयी है।
कि इन्हीं जो दो की सभी अद्वृत लाली जी विश्वासी हैं।
जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की।

धारा 7:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 जब अपने मंसूबा में इमरान की
पत्नी पर कामयाब नहीं हुआ तो वह मुझ वादिनी पर अपनी गलत
करतूत को अपनाना शुरू किया जिस पर वादिनी के बीच थाना
पुलिस तक की नौवत आ गयी और दोनों के बीच काफी विवाद
हुआ ।

धारा 8:- यह कि इमरान व इरशाद द्वारा अपना अपना हक हिस्सा लेकर
उसी घर में प्रतिवादी संख्या 1 से अलग कर लिया और उस पर

एक ही परिवार के हैं सबका घर दुआर खेत बारी आदि इसी गांव में
कायमी पूर्वजान कायम चला आ रहा है और आज भी है ।

धारा 2:- यह कि वादिनी प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी है और प्रतिवादी
संख्या 2 सजदिया में कमाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 भी
सजदिया में कमाता है तथा प्रतिवादिनी संख्या 3 बाम्बे में अपना
इलाज करवा रही है ।

धारा 3:- यह कि वादिनी के पति व जेठ प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने
अपनी कमाई से गांव में एक अच्छा पक्का मकान का निर्माण
करवाया है जिसमें वादिनी प्रतिवादी आदि सब रहते हैं और आज भी
रह रहे हैं ।

धारा 4:- यह कि निर्मित मकान की चौहददी पूरब- खेत अजय कुमार व
चकमार्ग, पश्चिम- हाजी सदर, उत्तर - मुमताज अली, दक्षिण-
दिलावर के बीच कायम है जिसमें पूरा परिवार रह रहा है ।

धारा 5:- यह कि उपरोक्त मकान को वादपत्र के साथ एक नक्शानजरी
दी जा रही है जिसमें बरंग सुर्ख अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया
गया है जो वादपत्र का अभिन्न अंग है ।

धारा 6:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 काफी अझ्यास किस्म का व्यवित है
जो मेरे जेठ इमरान की पत्नी के आने के बाद उससे सम्पर्क बनाना
चाहा जिस पर बड़ा गदर हुआ तो उसको काफी मारा पीटा जिसकी
दवा आज भी वह बाम्बे में करवा रही है ।

धारा 7:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 जब अपने मंसूबा में इमरान की
पत्नी पर कामयाब नहीं हुआ तो वह मुझ वादिनी पर अपनी गलत
करतूत को अपनाना शुरू किया जिस पर वादिनी के बीच थाना
पुलिस तक की नौवत आ गयी और दोनों के बीच काफी विवाद
हुआ ।

धारा 8:- यह कि इमरान न इरसाद द्वारा अपना अपना एक हिररा लेकर
उसी पर मैं प्रतिवादी रांख्या 1 रो अलग कर लिया और उस पर

न्यायालय श्रीमान मिशिल जाज (प्र०ख्य) कक्ष संख्या 15 जनपद सुलतानपुर
अनंदी - बनाम - दिलापल अली आदि सांख्य ३० -
सन् २०२० ई०

काविज दखील होकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना शुरू कर दिया और आज भी कर रहे हैं।

धारा 9:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 अब बराबर धमकी देता है कि यदि हमारी नहीं सुनोगी तो सारी जायदाद सलमान को दे दूँगा और घर से तुमको निकाल दूँगा जिस पर ग्रांव विरादरी के लोग भी काफी डांटा फटकारा फिर भी अपनी नीचता व विक्रय करने व वसीयत करने की धमकी से बाज नहीं आता है।

धारा 10:- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 व 4 सजदिया में होने व प्रतिवादी संख्या 3 अपने इलाज के सिलसिले में बाम्बे में होने के कारण दावे में सामिल सरीक नहीं हो पा रही है और यह दावा उनके भी हित के लिए है जिससे उनको प्रोफार्मा डिफेन्डेण्ट बनाया जा रहा है।

धारा 11:- यह कि वाद का कारण बमाह अगस्त तृतीय सप्ताह दिनांक 26.08.2020 ई0 वावत देने धमकी कर देने बेदखल व देने धमकी कर देने बेघर व देने धमकी कर देने हकूक के नीज वाद न्यायालय श्रीमानजी के अधिकार सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ जिसकी सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमानजी को ही है।

धारा 12:- यह कि वाद की मालियत वावत मकान व खेती 10,00000/- रुपया (दस लाख रुपया) से कम नहीं है यही वाद की मालियत नियत की जाती है चूंकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिए मुवलिग 10,00000/-रुपया का 1/5 भाग मुवलिग 200000/-रुपया पर अधिकतम न्यायशुल्क मुवलिग 500/-रुपया की अदा की जाती है।

याचना

(अ):- डिक्री स्थायी व्यादेश बहक वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 को हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वह वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के रहाईश व हक हकूक में

है उस पर किसी प्रकार से न तो हस्तक्षेप करें न ही बर्बाद करे न ही उसको किसी के मक्ष में विक्रय करें और न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा व दखल उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की भदाखलत पैदा हो ।

(व):— खर्च मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे ।

(स):— अन्य याचना जो वादिनी को खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय उचित रामझो प्रदान करें ।

उल्लेख 1. मुरागा नम्बर ३४९ मिठौ में ज्ञानालय १३८४ साल में शाहपुर सामाजिक विधि परगना भीशनपुर राज्य जिला सुलतानपुर बर्डार नहिलांवल्ला । ॥
उल्लेख २. मुरागा नम्बर १३३ मिठौ में ज्ञानालय १३६ साल में कोरा परगना भीशनपुर बर्डार जिला सुलतानपुर बर्डार दिल्ली कठ्ठा । ॥

पत्र का धारा 1 ता 11 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है । धारा 12 व याचना को सही होने में विश्वास करती हूँ इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और न कुछ झूँठ है खुदा मेरी मदद करें तसदीक मुकाम दीवानी अहाता जनपद सुलतानपुर

तसदीक दिनांक २७.८.२०

३१.८.२०

जनपद वादिनी

द्वारा

अधिवक्ता

दिनांक

अन्वरी

प्र०५०) कक्ष संख्या १५ जनपद सुलतानपुर
चौ आदि साल २०२० सं०-
सन २०२० ई

है उस पर किसी प्रकार से न तो हस्तक्षेप करें न ही बर्बाद करे न ही उसको किसी के पक्ष में विक्रय करें और न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा व दखल उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा हो ।

(ब) :- खर्च मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे ।

(स) :- अन्य याचना जो वादिनी को खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय उचित समझे प्रदान करें ।

सराहत जायदाद निजाई मकान नम्बर 563 चौहड़ी
उत्तर मुमताज अली, दक्षिण- दिलावल अली, पूरब- खेत अजय
कुमार व चंकरोड़, पश्चिम- हाजी सदर ।

प्रार्थिनी:-

मैं वादिनी स्वयं तसदीक करती हूँ कि वाद
पत्र की धारा 1 ता 11 मेरे निजी ज्ञान से
सही व सच है । धारा 12 व याचना को
सही होने में विश्वास करती हूँ इसमें कुछ
भी छिपाया नहीं गया है और न कुछ झूंठ है
खुदा मेरी मदद करें तसदीक मुकाम दीवानी
अहाता जनपद सुलतानपुर

अनवरी वादिनी

धारा

J.W. 20

अधिवक्ता 27.8.20

दिनांक

अनवरी

तसदीक दिनांक 27.8.20

— 28.8.20

अनवरी

ମୁଖ୍ୟ ପରିମାଣ କିମ୍ବା (ମୋଟ) ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ

36

34193


190101

2010010

20

11

नाम- नजरा



000163

T6001
G. L. Moore

4/19/00

१३८८

91468

মুসলিম

3 total

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या— १६२८०

मूल वाद संख्या— १६२८०

बनाम

भागीरथ

दिनांक १०/१०/२०

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ।
अवलोकित। अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। वाद दिनांक २८/१०/२० को
वास्ते विधान तहरीरी एवं दिनांक ०६/१०/२० को वास्ते विरचित किये जाने
वादविन्दु पेश हो। विपक्षी को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी तीन दिन में करे।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),

कक्ष सं0-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुक्म इमिनाई चन्द्ररोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
जारी।

6ग2 शपथपत्र।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जारी। प्रस्तुत किया
गया।

कमलेश प्रताप को नियुक्त किया जाता है। वादी पैरवी वादायुक्त का परवाना जारा हा।
वादायुक्त उभयपक्ष को सुवित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या
गया नवसा नियम तक प्रस्तुत करे।

28/१०/२०
(मीरा लगाव)

सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-962/2020

अनवरी—बनाम—दिलावर आदि।

गठनांक-28.08.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान् अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र को अपने पति व जेठ प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 की कमाई से निर्मित मकान होना कहा है और कथन किया है कि उसका पति व जेठ साउदिया में कमाते हैं एवं प्रतिवादी संख्या 03 बाघे में अपना इलाज करा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 कोफी अर्यास किस्म का व्यक्ति है। उसकी नियत वादिनी के प्रति ग़लत है वह लगातार धमकी दे रहा है कि यदि वादिनी उसकी वात नहीं सुनेगी तो उसे घर से निकाल दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य परिवार रजिस्टर की नकल कागज संख्या 11ग1/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित मकान जैतून बीबी के नाम दर्ज है। वादिनी ने सशपथ कथन किया है कि वह प्रतिवादी संख्या 01 की बहू है। ऐसे में यदि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादिनी को जबकि उसका पति व देवर विदेश में है गलत तरीके से घर से निकाल दिया जाता है तो वह बेघर हो सकती है। ऐसे में वाद भूमि के वावत वादिनी का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादिनी को घर से बेघर कर दिया जाता है तो इससे वादिनी का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यूयोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद विवादित मकान दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनारे रखें एवं वादिनी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अवैध तरीके से बेदखल न करें। वादिनी आदेश 39 नियम 3 सिं0 प्र0 सं0 का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वारते निरतारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 28.09.2020 को पेश हो।

29-९-२०२०
(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करें। वादायुक्त कमलेश प्रताप को नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या पर्यान्वयन नियत दिनांक तक प्रस्तुत करें।

29-९-२०२०
(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

2 B-09. no

T10cm pr
in part

6/11/69 57-4

卷之三

• Digitized by srujanika@gmail.com

06/10

Ch. 5-10

શ્રીમતી માયારતીની જીવનચરણ

1.047² 9102108 (1.047²)²
9102108 x 10⁻¹⁰, 11023

1945. May 12. 1945. 11322
Kashmir, 12.000 ft. 162.5 fm.

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

१८५२ वायर एम्पीयर ब्रिटेन
वायर एम्पीयर ब्रिटेन

५६-१०-२० वि = १३

ପ୍ରକାଶ ମହିନେ 100୩ ବସନ୍ତଋତ୍ତ୍ଵାଳୀ

G-
G- Feb. 15

$$T_1 \text{ min} = \frac{0.6 \cdot 10 \cdot n}{p v}$$

ପାତ୍ରିକା

YML 1958

6417E
over all

କାନ୍ତିମାଳା

20114162
201 m'

415

09 | 11

Oct
1971

21

II

✓
CJ
21.11.

09-11-20

C-16.15

RG - 21-11-2021

31 अक्टूबर 5 बजे 1092

ପ୍ରଦୀପ ପାତ୍ର କାନ୍ତି

C. Abbott

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कोर्ट नं०-१५, सुलतानपुर।
मूल वाद सं०- ९६२ / २०२०

अनवरी — वनाम — दिलावर

दिनांक 09.12.2020

वाद पुकारा गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी अनुस्थित। प्रार्थनापत्र 10क2 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र 10क2 वादी की ओर से अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाठी० इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में कुछ कानूनी व काकश्याती कभी रह गयी हैं जिसे जरिये तरगीम वादपत्र में लाया जाना आवश्यक है। अतः संशोधन की अनुमति दी जाय।

प्रार्थनापत्र उपरोक्त हे विरुद्ध न तो कोई आपत्ति दाखिल की गयी है और न ही आपत्ति हेतु कोई उपरिधित नहीं है।

प्ररतावित संशोधन के हारा वादिनी वादपत्र में एक नयी वंशावली समाहित करने के साथ सराहत जायदार में विपादित सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण अंकित करना चाहती है। मामले में प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। वाद अभी प्रारम्भिक रूप पर है। प्ररतावित संशोधन से बादी न तो कोई नया केस रख राना है और न ही वाद की प्रकृति बदल रही है। प्रस्तावित संशोधन वाद के गुण दोष के आधार पर उचित न्यायनिर्णय हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र 10क2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 10क2 रखीकार किया जाता है। वांछित संशोधन अबिलम्ब हो। पावली वास्ते प्रतिवादपत्र/नो प्रार्थनापत्र 5ग2 हेतु दिनांक 07.01.2021 को पेश हो। वाद संशोधन वादी प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील हेतु आवश्यक पैरवी अबिलम्ब करे। टी0आई0नियततिथि तक स्वीकृत ।

सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट न०-15, सुलतानपुर

87-01-21

କୁଳାପା ବାନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଵ ପ୍ରକାଶକ
କୋଣାର୍କ ପ୍ରେସ୍

RB - 24-02-21 afz

• त्रिपुरारी

C-4015

ପ୍ରକାଶନ ଦେଖିବା ପାଇବା

निवासी है और प्रतिवादीगण भी इसी पते के स्थायी निवासी हैं और

362/25

09
12

9/11-20 ~~P.O. 34750025218~~
~~9/11-20~~ 9/12-20 ~~9/11-20~~
~~9/12-20~~ T.I. 9/8/01

✓
CNO

CJ
9/12

GJLH
9/12

09/12-20
PV

07/01/21

21
II
11
CJ
01/11

156-21-11-2021-
31/07/2021-
5 224 1032
9/21/21 T.I. 9/8/01

05.70 — 962.120

—
13
05
20

C. 13
13/5

2.6702-21 अमृता प्रसाद कोट्टेश्वरी
अमृता १३-१३०५-२१
दोलाले नाना (जामुना)
जहां दुधाकी)

C. 13
13/5

13. 5. 21 GID 23. 8. 21
Coria - 19

निवारी है और प्रतिवादीगण भी इर्री पते के रथागी निवारी है और